संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्य प्रदेश

वेब–साइट: www.dif.mp.gov.in

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ
ग–खण्ड, प्रथम तल,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल –462003
दूरभाष - (0755) 2551199,2552003
फेक्स - 0755-2551387
ई–मेल: difbho@mp.gov.in

क्र. ब्रिस्क/आई.टी.(3)/संविसं/2009/1020
भोपाल दिनांक 31 मार्च 2011

प्रति

कलेक्टर (समस्त)

बिषय: **वेब–एनेबल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर बैंक विलय एवं सुविधा की दृष्टि से परिवर्तन ।**

संचालनालय द्वारा एन.आई.सी. के सहायता से आर.आर.सी. आन–लाइन प्रक्रिया हेतु विकसित वेब–एनेबिल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर एप्लीकेशन में बिषयान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान **दिनांक 01–04–2011 से प्रभावी किये गये हैं** :-

1. स्टेट बैंक आफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक आफ राजस्थान का आई.सी.आई.सी.आई बैंक में विलय के फलस्वरूप निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी –
   - स्टेट बैंक आफ इंदौर एवं बैंक आफ राजस्थान के नाम से इन बैंक की शाखाओं द्वारा **दिनांक 31–03–2011** तक प्रविष्टि की गई आर.आर.सी. पर उक्त दिनांक के पश्चात की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त बैंक शाखाएं अब क्रमश: State Bank of India–M एवं ICICI–M बैंक के नाम से उपलब्ध होंगी । दिनांक 31.3.2011 तक दर्ज आर.आर.सी. पर आगामी कार्यवाही हेतु पूर्व में संबंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराये गये यूजरनेम एवं पासवर्ड का ही उपयोग किया जाय ।
   - संचालनालय में उपलब्ध जानकारी अनुसार स्टेट बैंक आफ इंदौर की 357 एवं बैंक आफ राजस्थान की 22 शाखाओं को क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की शाखाओं के रूप में दिनांक 1.4.2011 से समाहित किया जाएगा । उपरोक्तानुसार समाहित शाखाओं हेतु नये यूजरनेम एवं पासवर्ड बनाये जाकर एन.आई.सी. के जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ डी.आई.ओ. के माध्यम से संबंधित जिला नोडल बैंक/जिला अग्रणी प्रबंधकों को उपलब्ध कराये जाएगें । संबंधित नोडल बैंक द्वारा डी.आई.ओ., एन.आई.सी. से अपनी बैंक शाखाओं के यूजरनेम एवं पासवर्ड प्राप्त कर संबंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराये जाय ।
2. नवीन तहसील के गठन एवं गलत नाम की तहसील में दर्शित बैंक शाखाओं हेतु निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी –
   - नवगठित तहसीलों के क्षेत्र में आने वाली बैंक शाखाओं द्वारा पूर्व में दर्ज आर.आर.सी. को नवीन तहसील में स्थानान्तरित करने हेतु संबंधित बैंक शाखा द्वारा सीधे अथवा जिला नोडल बैंक शाखा के माध्यम से संलग्न प्रपत्र–1 में संचालनालय संस्थागत वित्त को प्रस्ताव प्रेषित करना होगा ।
   - बैंक शाखा स्तर पर तहसील के नाम में त्रुटि होने की दशा में सुधार हेतु संबंधित बैंक शाखा द्वारा संचालनालय संस्थागत वित्त को लिखित में प्रस्ताव प्रेषित करना होगा ।
   - बैंक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय द्वारा आवश्यक संशोधन/ सुधार किया जाएगा।

3. राजस्व अधिकारी की पदस्थापना की तहसील के अतिरिक्त अन्य तहसीलों की आवंटित आर.आर.सी. हेतु निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी -

- राजस्व अधिकारियों को उनके कर्मचारी कोड के आधार पर आवंटित आर.आर.सी. हेतु प्रपत्र-दो एवं प्रपत्र-तीन जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । अतः वे अपने कर्मचारी कोड के आधार पर उन्हें आवंटित समस्त आर.आर.सी. को Access भी कर सकेंगे ।

4. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को सामयिक प्रतिवेदन प्राप्त करने की सुविधा-

- जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को उनके जिले की सामयिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है । उनके द्वारा सम्पूर्ण जिले का प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकेगा । उक्त सुविधा के उपयोग हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अपना यूजरनेम एवं पासवर्ड इस संचालनालय से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं ।

साफ्टवेयर संचालन में किसी भी प्रकार की सहायता हेतु इस कार्यालय के प्रोग्रामर से ई-मेलः difbho@mp.gov.in, दूरभाष 0755-2574217/2551199 पर संपर्क किया जा सकता है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ता/-

(**नीतेश व्यास**)

संचालक

संस्थागत वित्त, म.प्र.

क्र. ब्रिस्क/आई.टी.(3)/संविसं/2009/1021 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), म.प्र. राज्य इकाई, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, म.प्र., सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु ।
3. राज्य स्तरीय बैंक प्रमुख (समस्त बैंक), मध्य प्रदेश, को सूचनार्थ एवं लेख है कि बेव-एनेबिल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर में बैंक शाखा मास्टर संचालनालय की बेवसाइट (www.dif.mp.gov.in) में उपलब्ध "Banking Network in Madhya Pradesh" की शाखाओं के अनुरूप संधारित किया गया है अतः साफ्टवेयर के माध्यम से सिर्फ उन्हीं बैंक शाखाओं की आर.आर.सी. दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी जो "Banking Network in Madhya Pradesh" में समाहित हैं। शाखाओं की जानकारी में updation/alteration/addition हेतु **वेब-एनेबल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर** के साथ उपलब्ध कराऐ गऐ प्रपत्र (Format-B) में जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
4. जिला अग्रणी प्रबंधक, म.प्र. (समस्त), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. जिला संस्थागत वित्त अधिकारी/प्रभारी, म.प्र. (समस्त), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निज सहायक, संचालक, संस्थागत वित्त एवं अपर सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लव भवन, भोपाल, सूचनार्थ ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ता/-
संयुक्त संचालक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ब्रिस्क)

प्रपत्र–1

नवगठित तहसीलों में आर.आर.सी. स्थानान्तरित करने हेतु जिला नोडल शाखा द्वारा प्रस्ताव प्रेषण का प्रारूप

जिला : बैंक : शाखा :

क.	तहसील का नाम जिससे आर.आर.सी. स्थानान्तरित किया जाना है	कम्प्यूटर आर.आर.सी.नम्बर जिन्हें स्थानान्तरित किया जाना है	नवगठित तहसील का नाम जिसमें आर.आर. सी. स्थानान्तरित किया जाना है

नोडल शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम:
सम्पर्क दूरभाष क्र...................................... मोबाईल क्र....................................

हस्ताक्षर..........................

पद मुद्रा..........................